

कार्यालय सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय, विराटनगर

क्रमांक: Sp-1

दिनांक: 26/7/23

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

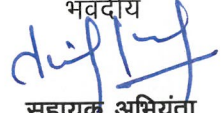
विषय:- **Diversion of 0.9885 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के सम्बन्ध में।**

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसंजउ/2022-23/7196 दिनांक 30.06.2023

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव **Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District-Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021** का परीक्षण करने के उपरान्त लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	As per reply of the point no.1 the proposed road is constructed with prior approval please submit the copy of approval.	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है। भारत सरकार/राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध है एवं तदनुसार वचनबद्धता सलग्न है। विभाग द्वारा उक्त प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर नं. 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी जिसमें विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 चैक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई है।

भवदीय

सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II



❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖



पुराना कोल डिपो, झोटवाड़ा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उपसंजउ / 2023-24 /
निमित्त,

7196

दिनांक 30/9/23

सहायक अभियन्ता,
सा.नि. विभाग उपखण्ड विराटनगर- II
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज., जयपुर द्वारा

दिनांक 21.06.2023 एवं कार्यालय मु.व.सं, जयपुर द्वारा दिनांक 22.06.2023 को जारी किये

गये

ऑन लाईन EDS के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आलोच्य प्रकरण में अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज., जयपुर द्वारा दिनांक 21.06.2023 को निम्नलिखित ऑन लाईन EDS जारी किया गया है:-

1. As per reply of the point no 1 the proposed road is constructed with prior approval please submit the copy of approval.

अतः उक्त बिन्दु की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(मनफूल बिश्नोई)

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

Signature valid

Digitally signed by Manphool Bishnoi
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.06.30 16:48:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4170247



ACCEPTED ONLY
NOT NEGOTIABLE



Payable at Par at all AU Small Finance Bank Branches

Paota

ISSUING BRANCH & CODE

REF. No. 219913001419

दिनांक
Date

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

6 0 3 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY/ मॉगे जाने पर

DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST JAIPUR NORTH

को या उनके आदेश पर/ OR ORDER

रुपये Rupees

ELEVEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY NINE ONLY.

₹ 11,259.00

For AU Small Finance Bank Ltd

Purchaser Name: LALIT KUMAR SHARMA

Jaipur Head Office

DRAWEE BRANCH AND CODE

AUTHORISED SIGNATORY
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

AUTHORISED SIGNATORY
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

Please sign above

0001296 3037650101

16

रा.मु.जो.

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं. 1 (क)

प्रत 1

वन विभाग, राजस्थान

डिवीजन ~~जयपुर (उत्तर)~~

(चाक पर रहने की)

154

बुक नं.

सदर नं.

नाका नं.

ता.

मियाद

से

तक

नाम नाका ~~आतेला~~ नाम रेन्ज ~~पावट~~

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे ~~FIR No 218/042~~

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार ~~अध्यक्ष आभियंता सां. नि. विभाग~~

सकूनत मय पता ~~खण्ड पावट जयपुर~~

मार्फत

किस्म पैदावार ~~एवजाना~~

तादाद शरह

तादाद महसूल ~~R.D.N. 00.12.96~~

रकम ~~अभारदहजार~~ अंका में ~~11259/-~~

साबिक हाल ~~11259/-~~ मीजान

ह. इजराय कुनिन्दा

ह. व्यापारी

विषय:- **Diversion of 0.9885 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021**

अण्डरटेकिंग वास्ते दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु

मैं, सहायक अभियंता, सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan)** हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार जो भी दण्डात्मक राशि निर्धारित की जावेगी वह सा.नि.वि. विभाग द्वारा जमा करा दी जावेगी। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

दिनांक – 01.05.2023

हस्ताक्षर



सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II

कार्यालय सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

क्रमांक:- 203

दिनांक:- 6/2/23

सहायक अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड-विराटनगर।

विषय:- सम्पर्क सड़क एनएच-8 बागावास अहिरान से आंतेला वाया झिण्डा वाला
बालाजी कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लेख है कि उक्त सड़क
कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वर्ष 1992 से
1994 की अवधि में निर्मित करवाई गई थी जिसकी लम्बाई 4.00 किमी. एवं लागत राशि
रुपये 18.00 लाख है।

इस विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में निर्मित करवाई गई अन्य सड़कों के
साथ इस सड़क को भी आपके विभाग को सम्भलवाया जा चुका है।

पत्र सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(शिवराम जाटव)

सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, खण्ड-जयपुर प्रथम को सूचनार्थ।

(शिवराम जाटव)

सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय